

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

मेख वाद सं० ५१७/२०१६/१३८
का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक २०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-३ खा०म०निति ११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ एवं विभागीय पत्रांक १७०४/रा०, दिनांक १५.०७.२०२० में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा ५१५१२०१६ थाना नं० २३७ खाता सं० १५ प्लॉट सं० १ रकबा ०.७५५२६
एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म १५५००३०१६ अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० ३१/५ पर जमाबंदी रैयत सुनी-मान ५/० के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख, दिनांक १५.५.२०१६ को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

15.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में वेवांस लमर नवीर जम

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा दीपा जम मौजा नं० 232 खाता सं० 15 प्लॉट सं० ...

रकबा 0.25 किस्म ... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि ...

... तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष ... तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० ... को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित ।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू अंचल - छत्तारगढ़

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
मुन्नी चमार 3/0	मिश्राकला	237	15	—	0.75	गिरमाऊजा	एक ईला
रामशरण चमार					0.5	मालिक	एक ईला

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मांग पंजी-II के परिवर्तन अधिकार नुसार में इसमें संधारित कोई विवरण दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तव रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचालित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वास्तव-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

धर्ममान
मांग पंजी :-

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नही

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नही

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद

तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नही

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध

जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नही

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदित भूमि मौजा - पिपराकला के बारा - 15 प्लॉट -
रकबा 0.75 का मांग, मांग पंजी नं० के घु. म. 3/1 पर शुर्की
नं० 5/10 शहरराणा नगर के नाम से मांग दर्ज है। पंजी-11 में
प्लॉट दर्ज नहीं है। ऐसे में भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं। बारा
15 डी.एम.ज.क. का मासिक ब्योरे की शुरु है। पंजी-11 के परिवर्तन
काल में मांग न्याया बोले का कोई आदेश दर्ज नहीं है।
उके समावर्ती श्रेया के बंधन द्वारा भी भूमि प्राप्त के
संबंध में कोई चैथ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः
ऐसे में अंतर मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः 2 नाराज
है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जॉचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व अपरिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन का
जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त मांग को रद्द किया
जा सकता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- गुब्बी - चमार ५/० शमशरवा - नमर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं. ३३ पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
<u>मिपराकला</u>	<u>237</u>	<u>15</u>	<u>—</u>	<u>0.25</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी - II में कोई विवरण दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीरमजन्मदा माहलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :-
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

मालु मांग पंजी - II च खतिमान है

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>679935 (1)</u>	<u>679935</u>	<u>16/6/72</u>	<u>1971-72</u>

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० ११७ / २०११/१२ (अन्तर्गत धारा ४(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम गुनी चमाल पिता रामराज चमाल

वसति स्थान पलामू जिला पलामू

विषय पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पलामू थाना नं०.....
खाता सं० १५ खेसरा नं०..... रकबा ०.२५ से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० ५ के पंजी-II भाग..... के पृष्ठ..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ५/३/२४ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

इ. ए. देवी

६२०७२८९५७९

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।